

5 - 663007



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

507915



### विक्रय-पत्र

#### लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

- |    |                                     |   |                     |
|----|-------------------------------------|---|---------------------|
| 1. | भूमि का प्रकार                      | : | कृषि                |
| 2. | परगना                               | : | बिजनौर              |
| 3. | ग्राम                               | : | देवामऊ              |
| 4. | सम्पत्ति का विवरण<br>(सम्पत्ति नं०) | : | भूमि खसरा संख्या-81 |
| 5. | मापन की इकाई                        | : | हेक्टेअर            |
| 6. | विक्रीत सम्पत्ति का<br>क्षेत्रफल    | : | 0.292 हेक्टेअर      |

२१ मई २०१८

11. XCV



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

507916  
००  
स. प. द.  
व्यापारी छोकर

- 2 -

- |     |                        |   |                |
|-----|------------------------|---|----------------|
| 7.  | सम्पत्ति का प्रकार     | : | कृषि           |
| 8.  | पेड़ों का मूल्यांकन    | : | नहीं           |
| 9.  | <u>बोरिंग/कुआ/अन्य</u> | : | नहीं           |
| 10. | प्रतिफल की धनराशि      | : | रु 21,99,782/- |
| 11. | मालियत                 | : | रु 3,65,000/-  |
| 12. | स्टाम्प                | : | रु 2,20,000/-  |

### चौहदादी

#### खसरा नं 81

- |        |   |                |
|--------|---|----------------|
| पूरब   | : | खसरा संख्या-83 |
| पश्चिम | : | खसरा संख्या-75 |
| उत्तर  | : | खसरा संख्या-80 |
| दक्षिण | : | चकरोड          |

राम रोड

Amrakot



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

507917

- 3 -

प्रथम पक्ष की संख्या-01

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
राम सेवक पुत्र गुरु प्रसाद, निवासी -लिलमथा इब्राहिमपुर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय - कृषि	:	अरुण कुमार वर्मा पुत्र श्री विशम्भर निवासी-ग्राम नन्दौली, तहसील-हसनगंज, जिला-उन्नाव। व्यवसाय - कृषि

२१ अक्टूबर १९८८

३००



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

507918

- 4 -

### विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख राम सेवक पुत्र गुरु प्रसाद, निवासी  
—लिलमथा इब्राहिमपुर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे  
विक्रेता कहा गया है, एवम् अरुण कुमार वर्मा पुत्र श्री विशम्भर  
निवासी—ग्राम नन्दौली, तहसील—हसनगंज, जिला—उन्नाव जिन्हें  
आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

२१ अक्टूबर १९६८



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

507919

- 5 -

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा संख्या-81, रकबा 0.292 हेक्टेअर, स्थित-ग्राम- देवामऊ, परगना-बिजनौर, तहसील ब जिला लखनऊ, की मालिक, कामिल व काबिज हैं तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00063 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख

२१ अक्टूबर १९८१

drumXIV



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

*	लखनऊ कोषागार च. नं.
P	507920
•	10 JAN 2008
—	
•	ज. को. अ / कोषागार कारो
B	आदर्श कोषागार लखनऊ
*	L K O T E Y

- 6 -

द्वारा विक्रय कर रहे हैं विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि की मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करती हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिंडा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा

२१८८८८

६२२-४४८



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

१०	५०७९२१
०	JAN 2008
०	स. को. अ/कोषागारी
०	आदर्श कोषागार लघनज
*	L K O T R Y

- 7 -

उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप ₹० 21,99,782/- (रुपया इक्कीस लाख निन्यानबे हजार सात सौ बयासी मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता

२०८०/१९८१

गुरु



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

०	सखनक लोधागार से जारी
५	507922
०	10 JAN 2008
०	स. को. अ / लोधायिकारी
३	आदर्श कोषागार लखनऊ
*	L K O. T R Y.

- 8 -

के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कर्तई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र

२१२८१९८५

१०८



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 239168

- 9 -

स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं  
उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन  
बँधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि  
विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि  
के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या  
उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या  
संवत्त्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण  
इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय

२१२५ बी ९८८

Ch - ४५८

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVETHOUSAND RUPEES

सरकारी चापात  
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 239169

- 10 -

हैर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत बैसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हैर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज रौजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो

२०२५ से १००/-

१००/-



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 239170

- 11 -

उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम देवामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सौरकिल रेट रु0 12,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि 0.292 हेक्टेअर की मौलियत रु0 3,65,000/- होती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 2,20,000/-

२१ अक्टूबर

Amrit

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार लंजनांग ख जारी  
0102299

25 DEC 2001

त. की. ब/कोषागार  
कोषागार सचिवनाल  
T R Y. L K O.

- 12 -

जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धब्यास मे कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस

21/12/2001

Amritpal Singh

विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

कृषि भूमि खसरा संख्या-81, रकबा 0.292 हेक्टेअर, स्थित-ग्राम- देवामऊ, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेता ने रु0 21,99,782/- (रूपया इक्कीस लाख निन्यानबे हजार सात सौ बयासी मात्र) द्वारा चेक संख्या- ९४३१८५ दिनांकित 17.01.2008 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 21,99,782/- (रूपया इक्कीस लाख निन्यानबे हजार सात सौ बयासी मात्र) विक्रेता ने

२१२२१९८

Amritpal

विक्रय पत्र

2,199,782.00/- 365,000.00

5,000.00 40 5,040.00 2,000

प्रतिफल मालियत

श्री / श्रीमती राम सेवक

पुत्र / पत्नी श्री गुरु प्रसाद

पेशा कृषि

निवासी स्थायी लिलमथा लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 17/1/2008 समय 5:00PM

वजे निवन्धन हेतु पेश किया।

फोस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग



एच.के.पांडेय

उप निवन्धक (प्रथम)

लखनऊ

17/1/2008

निष्पादन लेखपत्र याद मुनाने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि स. प्रलेखानुसार उक्ता

विक्रेता

श्री/श्रीमती राम सेवक २१८८१९८८

पुत्र/पत्नी श्री गुरु प्रसाद

पेशा कृषि

निवासी लिलमथा लखनऊ



विक्रेता

श्री/श्रीमती अरुण कुमार वर्मा

पुत्र/पत्नी श्री विशामर

पेशा कृषि

निवासी शाम नन्दीली तह. हसनगंज, लखनऊ



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री वी.आर.रामा

पुत्र श्री एस.आर.रामा

पेशा व्यापार

निवासी 18, मदन नोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ

व श्री सुरेश चन्द्र

पुत्र श्री स्व.ब्रह्मादीन

पेशा व्यापार

निवासी शाम देवामऊ लखनऊ

ने की।

एत्यक्त: भट याक्षियों के निशान अंगूठे नियनानुसार लिये गये हैं।



एच.के.पांडेय

उप निवन्धक (प्रथम)

लखनऊ

17/1/2008

क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।  
नोट: पृष्ठ संख्यान् ३ पर चेक संख्या पेन से लिखी है।

लखनऊ

दिनांक: 17.01.2008

गवाह क्रेताबी पुस्तकालय

1. वी.आर.डब्ल्यू.

५/०८.०८.२००८

१४ अप्रैल भालाबीप नागी

लखनऊ

२००८.०१.१८

विक्रेता

ज्ञानकोश

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(कुलदीप वर्मा)  
एडवोकेट

विक्रेता

Registration No 603

Year : 2008

Book No. 1

0101 राम सेवक

गुरु ग्रसाद  
लिलमया लखनऊ  
फ़ैपि




रजिस्ट्रेशन अधिना 1908 की धारा - 32 द्वारा के अनुपालन हेतु,  
फिंगर्स्प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- राजेश्वर कुमार चौहान  
सिंधुला दिल्ली भारत

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर  
राजेश्वर कुमार चौहान दिल्ली

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :-

राजेश्वर कुमार चौहान दिल्ली

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर



Registration No. 603



क्रेता

Year : 2008



Book No. [REDACTED]

v201 असूण कुमार वर्मा

दिशाव्याप्ति

ગ્રામ નન્ડીલી તહ. હસનગંજ, લાયાનકુ  
કળી



नवशा नजरी


ગ્રામ : દેરામણ

खसरा संख्या- ८।

विक्रेता : राघवेन्द्र

क्रेता : गृह-उमा वस्त्रा

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण



263  
Rishabhaw

ତୁମ୍ଭରୀଣ ଖନୋନୀ

प्राप्त को नाम : देवाधिक  
प्राप्त को नाम : ३९०२०५००३९५

શાસ્ત્રીય : બાળ લક્ષ્ય

जनपद : लखनऊ पमली वार्ष : १४१४-१४१९

Litt.

तहसील : लखणक

३८५

11

ફરસની ચાંદી માટે કાંઈ કાંઈ

१०८. विभिन्न विषयों के अनुसार उनका सम्बन्ध निम्नलिखित है।

1962] H. R. HEDGES: THE POLYCHAETA OF THE BALTIC

$$1407\pi = \frac{41}{16640} \cdot \frac{1}{\sin^2(12^\circ)}$$

45

हस्ताक्षर